Criminal • Cases • Review • Commission

Independently Investigating Miscarriages of Justice

न्याय में हुई गलतियों की स्वाधीन जांच पड़ताल

सी.सी.आर.सी के बारे में प्रश्न और उत्तर

सी.सी.आर.सी क्या है?

क्रिमिनल केसिज रिव्यू कमीशन (सी.सी.आर.सी) एक संगठन है जिसे उन मामलों पर गौर करने के लिए स्थापित किया गया है जहाँ अपनी अपील को हारने के बावजूद लोगों का यह मानना है कि उन्हें गलती से दोषी ठहराया गया है या गलत सजा सुनाई गई है।

अगर सी.सी.आर.सी को किसी दोषसिद्धि या सुनाई गई सजा में कुछ गलत मिलता है तो हम उस मामले को वापस अपील अदालत में भेज सकते हैं।

सी.सी.आर.सी **संपूर्ण रूप से स्वाधीन** है। हम अदालतों, पुलिस या प्रॉसिकिउशन (अभियोजन पक्ष) के लिए काम नहीं करते हैं। हम उन लोगों के लिए काम नहीं करते हैं जो उनके मामलों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन करते हैं। हम सभी पक्षों से स्वाधीन हैं ताकि हम निष्पक्ष रूप से अदालत के द्वारा हुई तथाकथित गलती की जाँच कर सकें।

अगर कोई महत्वपूर्ण नया सबूत सामने आए या दोषसिद्धि या सजा की सुरक्षा को संभवतः प्रभावित करने वाला कोई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आए तो हम एक मामले को वापस अपील अदालत में भेज सकते हैं।

सी.सी.आर.सी क्या करता है?

हम, मैजिसट्रेट्स कोर्ट, क्राउन कोर्ट, कोर्ट मार्शल या सर्विस सिविलियन कोर्ट द्वारा दी गई किसी फौजदारी दोषसिद्धि या सजा की जाँच कर **सकते** हैं।

केवल अपील अदालत ही किसी दोषसिद्धि या सुनाई गई सजा को बदल सकता है। सी.सी.आर.सी का काम है मामलों की जाँच करना और अगर कोई ठोस कारण मिले तो उन्हें अपील अदालत के पास वापस भेजना। अगर हम किसी मामले को अपील के लिए भेजते हैं तो अदालत को अवश्य ही उस अपील को सुनना होगा। **जब हम किसी मामले को अपील के लिए भेजते हैं तो अदालत सजा में कोई और चीज जोड़ नहीं सकता है चाहे वे अपील को खारिज क्यों ना कर दें।**

हमारे पास विशेष कानूनी शक्तियाँ है जो हमें मामलो की जाँच पड़ताल करने में मदद करती हैं। हम इन शक्तियों का उपयोग करके इंग्लैंड, वेल्ज और नॉर्दर्न आयरलैंड में उपस्थित सरकारी और प्राइवेट संगठनों से वह दस्तावेज मांग सकते हैं जो हमारी राय में आवश्यक हैं। इसमें वह जानकारी शामिल है जो पुलिस, अभियोजन पक्ष और अदालतों के पास है। हम सबूत का विश्लेषण कर सकते हैं, मामले से संबंधित नए कानून पर सोच विचार कर सकते हैं, वैज्ञानिक विशेषज्ञों को निर्देश दे सकते हैं और नए और पुराने गवाहों का पता लगा कर उनका साक्षात्कार ले सकते हैं।

हम **स्वाधीन** हैं। सी.सी.आर.सी यह निर्णय लेता है कि उसे कौनसे दस्तावेज प्राप्त करने हैं और कौनसी जाँच पड़ताल करनी है।

हम पुराने मामलों पर सोच विचार कर **सकते हैं।** सी.सी.आर.सी के पास आवेदन करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, हालांकि बहुत ही पुराने मामलों को लिए और कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं क्योंकि कागजातों और सबूत को शायद नष्ट कर दिया गया होगा।

आपके पास कानूनी प्रतिनिधित्व ना होने के बावजूद भी हम आपके मामले पर गौर कर सकते हैं। **हमारे पास आवेदन करने के लिए आपके पास किसी कानूनी प्रतिनिधि का होना अनिवार्य नहीं हैं** लेकिन एक सॉलिसिटर शायद मदद कर सकता है।

हम प्रिवेनशन ऑर्डरों पर गौर **नहीं** कर सकते हैं, केवल उस दोषसिद्धि या सजा पर गौर कर सकते हैं जिससे वह उत्पन्न हुआ होगा।

हम, दीवानी मामलों या आप्रवासन से संबंधित मामलों की जाँच पड़ताल **नहीं** कर सकते हैं।

कौन सी.सी.आर.सी के पास आवेदन कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति सी.सी.आर.सी के पास आवेदन कर सकता है अगर उनका मानना है कि उन्हें गलती से किसी फौजदारी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या गलत सजा सुनाई गई है बशर्ते उन्हें इंग्लैंड, वेल्ज या नॉर्दर्न आयरलैंड के किसी फौजदारी अदालत में दोषी ठहराया गया हो।

आप हमें आपकी दोष सिद्धि, आपकी सजा या दोनों पर गौर करने के लिए कह सकते हैं।

हमारे पास आवेदन करने में **कोई खर्चा नहीं है।**

मुझे सी.सी.आर.सी के पास कब आवेदन करना चाहिए?

अदालतों में साधारण प्रक्रिया के द्वारा अपील करने की कोशिश करने के बाद आपको सी.सी.आर.सी के पास आवेदन करना चाहिए। आप फिर भी अपील करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अपील करने के अंतिम समय (डेडलाइन) से चूक गए हैं।

अगर आपने अदालत के पास अपील नहीं की है तो एक पहली अपील शुरू करने के लिए आपको विभिन्न फॉर्म (प्रपत्र) भरने होंगे। कभी कभी इन फॉर्म को इस दस्तावेज के पीछे संलग्न किया जाता है। अगर आपको यह फॉर्म नहीं मिलते हैं तो आप सी.सी.आर.सी से संपर्क कर सकते हैं और हम आपको यह भेज देंगे।

अगर आप पहले ही अपनी अपील हार चुके हैं लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आपको गलती से दोषी ठहराया गया है या सजा सुनाई गई है तो आपको अपने मामले का पुनरीक्षण करवाने के लिए सी.सी.आर.सी के पास आवेदन करना चाहिए।

तब क्या होगा अगर मैंने अपील ना की हो?

अगर आपने साधारण पद्धति द्वारा अदालतों से अपील नहीं की है तो साधारणतः सी.सी.आर.सी आपको लिख कर समझाएगा कि आपको वापस जा कर साधारण तरीके से अपील करनी होगी।

सी.सी.आर.सी ऐसे बहुत ही कम मामलों को स्वीकार करता है जहाँ लोगों ने साधारण तरीके से अपील करने की कोशिश करने से पहले हमारे पास आवेदन किया हो। हम मामलों को किसी पूर्व अपील के बिना केवल तब ही रेफर कर सकते हैं अगर "असाधारण परिस्थितियाँ" (बहुत ही विशेष कारण) हों।

"असाधारण परिस्थितियाँ" क्या हैं

असाधारण परिस्थितियाँ बहुत ही कम हैं। ऐसा बहुत ही ठोस और अच्छा कारण होना चाहिए कि क्यों आपने अपील नहीं की और **अब सी.सी.आर.सी की मदद के बिना अपील नहीं कर सकते हैं।**
कोई भी स्वचालित असाधारण परिस्थितियाँ नहीं हैं। हम हर मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं कि कोई असाधारण परिस्थितियाँ हैं या नहीं।

कौनसी चीज एक असाधारण परिस्थिति नहीं है?

नीचे कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो असाधारण परिस्थितियाँ **नहीं** हैं:

आप अपील करना भूल गए या आप अंतिम समय से चूक गए। उन परिस्थितियों में आप फिर भी अदालत से अपील मांग सकते हैं। इसे "समय से बाहर" अपील करना कहते हैं।

आपने अपने सॉलिसिटर या बैरिसटर से यह सलाह प्राप्त की कि आपके पास अपील करने के कोई आधार नहीं है। यह आपको अपील करने से रोकता नहीं है।

आपको अपील करने में मदद करने के लिए आपको कोई सॉलिसिटर या बैरिसटर नहीं मिला है। आप स्वयं बिना किसी कानूनी सहायता के अपील के लिए आवेदन कर सकते हैं।

साधारण तरीके से अपील करने के बारे में मुझे अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

आपको *हाओ टु अपील* (किस प्रकार से अपील करें) नामक एक पुस्तक से बहुत सारी सहायक जानकारी मिल सकती है। इसे चैरिटी जस्टिस द्वारा प्रकाशित किया गया है। आपको शायद कारागार के पुस्तकालय (लाइब्रेरी) से इसकी एक प्रति (कॉपी) मिल सकती है और यह www.justice.org.uk/resources.php/274/how-to-appeal पर इंटरनेट पर भी मिल सकता है। आप एक अपील फॉर्म प्राप्त करने के लिए सी.सी.आर.सी से भी संपर्क कर सकते हैं।

मैं सी.सी.आर.सी के पास किस प्रकार से आवेदन कर सकता हूँ?

अगर आप कोई अपील हार गए हैं और अब सी.सी.आर.सी के पास आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदनों को सी.सी.आर.सी के आवेदन के फॉर्म का उपयोग करके लिखित रूप से जमा करना होगा। आवेदन का फॉर्म कोई परीक्षण नहीं है और हमने इसे यथासंभव सहज बनाने की कोशिश की है। अगर आप हमसे संपर्क करें तो हम आपको एक आवेदन का फॉर्म पोस्ट कर सकते हैं। हमें भेजने से पहले आपको अवश्य ही आवेदन के फॉर्म पर

हस्ताक्षर करने होंगे।

सी.सी.आर.सी के द्वारा अपील अदालत के पास किसी मामले को रेफर करने के लिए कोई **महत्वपूर्ण नया सबूत या कोई नया कानूनी तर्क** होना जरूरी है। यह कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे अदालत ने पहले नहीं सुना है।

यह आवेदन का फॉर्म आपके लिए एक अवसर है जब आप हमें बता सकते हैं कि आपकी दोषसिद्धि एवं/अथवा सजा के बारे में कौनसी चीज गलत है।

"महत्वपूर्ण नया सबूत या कानूनी तर्क" क्या है?

इसका मतलब किसी ऐसी चीज से है जिसका आपके मुकद्दमे के चलने के दौरान या आपके अपील के समय उल्लेख नहीं किया गया है – उदाहरणार्थ, नया सबूत जिसके बारे में उस समय पता नहीं था या विज्ञान में कोई नया विकास। हम दोबारा उन चीजों पर गौर नहीं कर सकते हैं जो ज्यूरी, न्यायाधीश या मैजिसट्रेटों को पहले से पता हो भले ही आपका यह मानना हो कि आपके मामले में उन्होंने गलत निर्णय लिया है। हमें किसी नई चीज को ढूँढना होगा जिसके कारण अब आपका मामला अलग दिखता है।

हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे अगर आप उन्हीं मुद्दों को दोहराएं जिन्हें आपने अपनी सुनवाई या अपील के दौरान बताया था। सी.सी.आर.सी को किसी नई चीज की जरूरत है और वह महत्वपूर्ण होनी चाहिए जिसके आधार पर अपील अदालत आपके मामले पर भिन्न रूप से गौर करेगी। आपको अपने आवेदन के फॉर्म पर हमें हर वह चीज बतानी होगी जो आपकी राय में नई है और जिससे आपके मामले में अंतर आ सकता है।

आप मेरे आवेदन के फॉर्म के साथ क्या करेंगे?

आपके आवेदन के फॉर्म को प्राप्त करने पर हम आपको लिख कर सूचित करेंगे कि आगे क्या होगा। फिर हम कोई भी ऐसे तथ्य प्राप्त करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता हो सकती है जैसे कि उस अदालत से फाइलें जहाँ आपको दोषी ठहराया गया था और साथ ही आपकी अपील से। हम आपके मामले का पुनरीक्षण कर सकते हैं या नहीं यह निर्णय लेने से पहले हमें शायद अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना पड़े, लेकिन हम आपको लिख कर सूचित करेंगे।

हालांकि, हम शायद, आपके मामले का पुनरीक्षण ना करने का निर्णय ले सकते हैं, उदाहरणार्थ:

अगर आपकी अपील अनिर्णीत है।

अगर आपने पहले अपील करने की कोशिश नहीं की है और ऐसे कोई कारण नहीं है जिनके आधार पर हमें आपके साधारण तरीके से अपील करने की कोशिश करने से पहले आपके मामले का पुनरीक्षण करना पड़े। (*वॉट इफ आय हैव नॉट अपील्ड?*(तब क्या होगा अगर मैंने अपील ना की हो) देखें)

अगर आपके आवेदन के द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण नए मुद्दे उत्पन्न ना हो जो हमें आपके मामले को अपील

के लिए भेजने की अनुमति दे सकते हैं।

अगर हम यह निर्णय लें कि आपके मामले में ऐसी कोई परिस्थिति लागू होती है तो हम आपको लिखित रूप से हमारे निर्णय का कारण समझाएंगे।

आप मेरी जानकारी के साथ क्या करेंगे?

अगर आप सी.सी.आर.सी के पास आवेदन करते हैं तो हम आपके मामले पर गौर करने के लिए आपके द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करेंगे। हम शायद विभिन्न संगठनों से तथ्य प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। यह शायद आपके या किसी अन्य व्यक्ति या विषय के बारे में जानकारी हो सकती है अगर हमें लगे कि उससे आपके मामले पर प्रभाव पड़ सकता है।

हम हर वह तथ्य प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी राय में किसी मामले की जाँच पड़ताल करने के लिए जरूरी है भले ही संगठन या व्यक्ति हमें वह प्रदान करना ना चाहते हों। एक बार हम किसी मामले पर गौर करना शुरू करते हैं तो हम निर्णय लेंगे कि हमें कौनसे तथ्य प्राप्त करने हैं।

हम अपने पास रखी जानकारी का बहुत ध्यान रखते हैं। हम केवल हमारे लिए आवश्यक जानकारी ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उस जानकारी को केवल उतने ही समय के लिए रखते हैं जितना जरूरी हो। हम मामलों से संबंधित जानकारी को कैसे और कब साझा करते हैं उसके बारे में हम बहुत सतर्क हैं और उसे हम केवल तब ही साझा करते हैं जब क्रिमिनल अपील एक्ट 1995 और डेटा प्रोटेकशन एक्ट 1998 ऐसा करने के लिए अनुमति देते हों।

जब हम किसी मामले को अपील के लिए भेजते हैं तो अपील से संबंधित प्रासंगिक जानकारी को आवेदक, आपील अदालत और प्रॉसिकिउशन (अभियोजन पक्ष) के साथ साझा किया जाता है। किसी भी मामले को रेफर करने के समय हम साधारणतः उस मामले में शामिल किसी विकटिम को सूचित करते हैं। साधारणतः हम एक छोटी प्रेस विज्ञाप्ति जारी करते हैं जो मामले की पहचान प्रदान करता है और उसे रेफर किए जाने के मूल कारणों को समझाता है। हम शायद मिसकैरिज ऑफ जस्टिस सपोर्ट सर्विस नामक एक चैरिटी के साथ आवेदक का संपर्क विवरण साझा कर सकते हैं जो गलती से दोषी ठहराये गए लोगों को मदद प्रदान करती है।

मेरे मामले के बारे में कौन निर्णय लेगा?

किसी मामले को अपील अदालत के पास वापस भेजना चाहिए या नहीं इसका निर्णय हमारे कमिशनरों के द्वारा लिया जाता है। हमारे कमिशनर विभिन्न प्रकार के पेशेवर बैकग्राउंड से आते हैं। इनमें से कई लोग कानूनी तौर पर योग्यताप्राप्त हैं और सभी को उनकी अभिज्ञता और जटिल मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता के कारण चुना गया है। प्रधान मंत्री की सलाह पर रानी के द्वारा कमिशनरों को नियुक्त किया जाता है।

इसमें कितना समय लगेगा?

पुनरीक्षण सीधा हो सकता है और इसमें केवल चंद हफ़्ते लग सकते हैं या यह अधिक जटिल हो सकता है और कई महीने लग सकते हैं।

क्या मुझे लीगल एड मिलेगी?

सी.सी.आर.सी के पास आवेदन भेजने में आपकी मदद करने के लिए एक सॉलिसिटर शायद लीगल एड परियोजना के तहत आपके लिए फंडिंग प्राप्त कर सकता है। 0845 34 4345 पर कम्यूनिटी लीगल अडवाइस से संपर्क करके या www.communitylegaladvice.org.uk पर उनकी वेबसाइट पर जा कर आपको किसी वकील को ढूँढने के बारे में सलाह मिल सकती है।

सी.सी.आर.सी कितने समय तक मेरे मामले के बारे में मुझसे संपर्क करती रहेगी?

अधिकांश समय पर हम लिखित रूप से आपके या आपके प्रतिनिधि से बात करेंगे। हम हमेशा आपसे संपर्क करके (या डाक या ईमेल के द्वारा अगर आपने हमें अपना ईमेल पता बताया हो) आपको बताएंगे कि हमें आपका आवेदन मिल गया है। आपके मामले में होने वाले किन्हीं भी नए विकासों के बारे में हम आपको अद्यतन जानकारी प्रदान करते हैं (या डाक से या ईमेल के द्वारा) इसलिए यह जरूरी है कि हमारे पास आपका सही पता हो। अगर आपका पता बदल जाए या आप एक कारागार से किसी दूसरे कारागार में चले जाएं तो हमें वह बात बताना भूलिएगा नहीं।

कारागार से सी.सी.आर.सी के साथ संपर्क करने के नियम प्रिजन सर्विस ऑर्डर 4400 में उल्लिखित हैं। अगर आपको पढ़ने या लिखने में कोई समस्या है तो हम आपसे संपर्क करने का कोई उचित तरीका ढूँढने का प्रयास करेंगे। जहाँ आवश्यक हो वहाँ हम तत्वों का अन्य भाषाओं में अनुवाद करने के विषय पर गौर करेंगे।

मैं सी.सी.आर.सी से किस प्रकार से संपर्क कर सकता हूँ?

आप सी.सी.आर.सी को फोन कर सकते हैं लेकिन हमें चीजों को लिखित रूप से रखना पसंद है क्योंकि इसका यह मतलब है कि हमारे पास हर चीज का स्पष्ट रिकार्ड है ताकि आपके मामले पर विचार करने के समय हम वापस जा कर उन चीजों को देख सकते हैं। सी.सी.आर.सी का संपर्क विवरण इस दस्तावेज के अंत में उल्लिखित है।

क्या आप मुझसे मिलने आएंगे?

अधिकांश मामलों में हमें हमारे लिए आवश्यक हर चीज लिखित रूप से, या फोन पर मिल जाती है और आवेदक से स्वयं मिलने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमें आमने सामने बैठ कर आपसे बात करने की जरूरत हो तो हम एक वीडियो कॉनफरेंस का आयोजन करेंगे या आपके साथ एक बैठक की व्यवस्था करेंगे।

तब क्या होगा अगर सी.सी.आर.सी द्वारा मामले को एक और अपील के लिए ना भेजने का निर्णय लिया जाए?

अगर आपको लगता है कि आपके साथ अनुचित रूप से व्यवहार किया गया है तो आप सी.सी.आर.सी के कस्टमर सर्विस मैनेजर के पास एक **औपचारिक शिकायत** कर सकते हैं। आपके मामले को बंद करने के 3 महीने बाद तक आप शिकायत कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस मैनेजर स्वाधीन रूप से सी.सी.आर.सी के व्यवहार के बारे में जांच करेंगे। कस्टमर सर्विस मैनेजर दोबारा आपके मामले का पुनरीक्षण नहीं कर सकते हैं।

अगर आपको लगता है कि हमारी निर्णय लेने की पद्धति में कोई गलती हुई है **तो आप एक न्यायिक समीक्षा के लिए प्रशासनिक अदालत के पास आवेदन कर सकते हैं।** ऐसा करने से पहले आपको एक औपचारिक शिकायत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा की प्रक्रियाओं के लिए कुछ समय सीमाएं हैं। इस पथ पर चलने से पहले हम आपको स्वाधीन कानूनी सलाह प्राप्त करने की सलाह देंगे।

अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण नया सबूत या तर्क है जिसके बारे में मुकद्दमे की सुनवाई, अपील या सी.सी.आर.सी के पास किए गए पूर्व आवेदनों के समय गौर नहीं किया गया है तो आप **पुनःआवेदन** कर सकते हैं। आपको एक नया फॉर्म पूरा करके हमें बताना होगा कि कौनसी चीज नई है और क्यों इसे पहले आपके पूर्व आवेदनों में शामिल नहीं किया गया था।

अगर सी.सी.आर.सी मेरे मामले का पुनरीक्षण करे तो क्या उससे मेरा निर्वासन रुक जाएगा?

आपके पास ऐसा कोई ऑटोमैटिक अधिकार नहीं है जिसके तहत आपको निर्वासित करने की प्रक्रियाओं को निलंबित किया जा सकता है चूंकि आपने सी.सी.आर.सी के पास आवेदन किया है। अगर हम आपके मामले को अपील के लिए रेफर करते हैं तो आपकी अपील समाप्त होने तक आपके निर्वासन को शायद रोका जा सकता है। अगर आपको निर्वासित किया जाता है और आपने सी.सी.आर.सी के पास आवेदन किया है तो हम आपके मामले का पुनरीक्षण कर सकते हैं भले ही आप किसी अन्य देश में हैं बशर्ते आप हमें एक संपर्क पता या ईमेल पता प्रदान कर सकते हैं।

मुझे सी.सी.आर.सी के बारे में और उसके काम करने की पद्धति के बारे में जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

औपचारिक ज्ञापन नामक दस्तावेजों की एक सिरीज उपलब्ध है जो सी.सी.आर.सी के बारे में सविस्तार जानकारी प्रदान करती है और जिसे www.ccrc.gov.uk पर जाकर और “केसवर्क” पर क्लिक करके इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। हमारे साथ लिखित रूप से संपर्क करके भी आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

सी.सी.आर.सी का संपर्क विवरण

अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम आपको हमारा एक आवेदन फॉर्म भेजें तो कृपया हमें निम्नलिखित पते पर लिखें:

Criminal Cases Review Commission,
5 St Philip’s Place;
Birmingham
B3 2PW

सी.सी.आर.सी फोन नंबर: 0121 233 1473
सी.सी.आर.सी ईमेल पता: info@ccrc.gov.uk